

## सकारण आदेश

~~संख्या-14/अ0प्र0-3-87/14~~ 10/23 पटना, दिनांक-18.8.15

कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नवादा के कार्यालय ज्ञापांक- 378 दिनांक 15.04.2014 के द्वारा संवेदक श्री रंजीत कुमार, पार्टनर आकाश कन्स0, ग्राम+पोस्ट- सिठौरा, राजगीर, जिला- नालदा द्वारा पैकेज संख्या- बी0आर0-25आर0-127 के तहत मडवा से जुमरी पथ का कार्य करने हेतु एकरारनामा किया गया था, जिसका एकरारनामा संख्या- 28/पी0एम0जी0एस0वाई0/ 2009-10 की राशि 14122449.00 रू0 मात्र है। एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति 29.10.2010 थी। संवेदक द्वारा दिनांक 22.02.2012 तक ही कार्य किया गया है, जिसके पश्चात् कार्य बंद कर दिया गया था। कार्यपालक अभियंता के प्रतिवेदन के अनुसार संवेदक को कार्य पूर्ण करने हेतु अनेकों बार स्मार पत्र मौखिक निदेश एवं प्रेस विज्ञप्ति दिया गया, परन्तु कार्य को पूर्ण करने में संवेदक द्वारा कोई अभिरुची नहीं ली गयी है। जिसके कारण संवेदक का एकरारनामा संख्या- 28/पी0एम0जी0एस0वाई0/ 2009-10 को विखंडित करते हुए कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नवादा के ज्ञापांक संख्या- 378 दिनांक 15.04.2014 के द्वारा उपरोक्त एकरारनामा में लगे जमानत राशि 2.5 प्रतिशत एवं विपत्र से जमानत में कार्य की गयी राशि को जब्त किया गया है। उक्त संवेदक को कालीकृत करने की अनुशंसा की गयी है।

कार्यपालक अभियंता के उपर्युक्त प्रतिवेदन के आधार पर विभागीय पत्रांक 7197 दिनांक 26.06.2014, 11200 दिनांक 11.09.2014 एवं 5384 दिनांक 19.05.2015 के द्वारा इस संबंध में संवेदक संवेदक श्री रंजीत कुमार, पार्टनर आकाश कन्स0, ग्राम+पोस्ट- सिठौरा, राजगीर, जिला- नालदा से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। संवेदक से मांगा गया स्पष्टीकरण अप्राप्त है।

विभागीय समीक्षोपरांत संवेदक द्वारा स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने की स्थिति में बिहार ठीकेदारी नियमावली 2007 की कंडिका-11 के उप कंडिका- VI के तहत संवेदक श्री रंजीत कुमार, पार्टनर आकाश कन्स0, ग्राम+पोस्ट- सिठौरा, राजगीर, जिला- नालदा (निबंधन संख्या-286/2009) श्रेणी-प्रथम को विभागीय काली सूची में डाला जाता है।

मो.सं. (श्री साठेवा)

(कमलेश चौधरी)  
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-3-87/14 10/23 पटना, दिनांक- 18.8.15  
प्रतिलिपि- संवेदक श्री रंजीत कुमार, पार्टनर आकाश कन्स0, ग्राम+पोस्ट- सिठौरा, राजगीर, जिला- नालदा (निबंधन संख्या-286/2009) श्रेणी-प्रथम को सूचनार्थ प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-3-87/14 10/23 पटना, दिनांक- 18.8.15

प्रतिलिपि-अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधान विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ नगर विकास विभाग/उर्जा विभाग/ सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

94

ज्ञापांक 14/अप्र0 3 87/14

10123

18-8-15

प्रतिलिपि- आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

14/08/15

ज्ञापांक-14/अप्र0-3-87/14

10123

पटना, दिनांक- 18-8-15

प्रतिलिपि- सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

14/08/15

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग।

45

ज्ञापांक:-11/विविध-06-07/2015

5206

पटना, दिनांक- 16-10-15

प्रतिलिपि:- सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार (यांत्रिक सहित) / अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मो0 अंचल-2,3 एवं बाढ़ / निदेशक, क्रय भंडार एवं सामग्री प्रबंधन / आई0टी0 मैनेजर (वेबसाइट पर डालने हेतु), जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

15/10/15

15/10/15

(नागेश्वर प्रसाद)

पुरकार के अवर सचिव।

15/10/15